

सं. 35034/3/2008-स्था.(घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, 19 मई, 2009

कार्यालय जापन

विषय: केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 6.1.15 में संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना की सिफारिश की है । सिफारिशों के अनुसार, जब कर्मचारी एक ही ग्रेड में 12 वर्ष की सतत सेवा पूरी कर लेता है तो उसे अगले उच्चतर ग्रेड वेतन में वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा । तथापि, जैसा कि पिछली योजना में प्रावधान किया गया था, सम्पूर्ण कैरिअर में दो से अधिक वित्तीय उन्नयन नहीं दिए जाएंगे । उपर्युक्त योजन का लाभ समूह 'क' के सभी पदों के लिए भी मिलेगा चाहे वे एकल पद हों या नहीं । तथापि संगठित समूह 'क' सेवाओं को उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जाएगा ।

2. सरकार ने एक संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना लाने के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और सतत नियमित सेवा के 10, 20 तथा 30 वर्षों के अन्तरालों पर संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तीन वित्तीय उन्नयन देने के लिए पुनः और संशोधन के साथ इन्हें स्वीकार कर लिया है ।

3. उपर्युक्त योजना को "केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.)" के रूप में जाना जाएगा । यह योजना पिछली ए.सी.पी. स्कीम तथा इसके अंतर्गत जारी स्पष्टीकरणों को अधिक्रांत करते हुए लाई गई है और संगठित समूह 'क' सेवा के अधिकारियों के सिवाए केन्द्रीय सरकार के नियमित रूप से नियुक्त समूह "क", "ख" और "ग" के सभी सिविलियन कर्मचारियों के लिए लागू होगी । जैसा कि छठे केन्द्रीय वेतन

आयोग द्वारा सिफारिश की गई है, समूह "घ" कर्मचारियों का दर्जा उनका निर्धारित प्रशिक्षण पूरा होने पर समाप्त हो जाएगा और उन्हें समूह "ग" कर्मचारी माना जाएगा। 'अस्थाई दर्जा' दिए गए तथा सरकार में केवल तदर्थ या संविदा आधार पर ही नियुक्त कर्मचारियों सहित अनियत कर्मचारी उपर्युक्त योजना के अंतर्गत लाभ के हकदार नहीं होंगे। संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का ब्यौरा और इसके अधीन वित्तीय उन्नयन दिए जाने के संबंध में शर्तें अनुबंध-1 में दी गई हैं।

4. संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अधीन वित्तीय उन्नयन दिए जाने से संबंधित मामले पर विचार करने हेतु प्रत्येक विभाग में एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। जांच समिति में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। समिति के सदस्य ऐसे अधिकारी होंगे जिन्होंने संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन पर विचार किए जाने वाले ग्रेड से कम-से-कम एक स्तर ऊपर के पद धारण किए हुए हों और वे पद सरकार में अवर सचिव के समकक्ष रैंक से नीचे के नहीं हों। अध्यक्ष आमतौर पर समिति के सदस्यों के ग्रेड से एक ग्रेड ऊपर का होना चाहिए।

5. जांच समिति की सिफारिशों को उन मामलों में जहां समिति मंत्रालय/विभाग में गठित की गई है, सचिव के समक्ष, या अन्य मामलों में संगठन के अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

6. प्रशासनिक तंत्र पर अनुचित दबाव को रोकने के क्रम में, जांच समिति एक नियत समय का पालन करेगी और एक वित्तीय वर्ष में इसकी दो बैठकें होंगी जो अधिमानित: एक वर्ष की आधी अवधि के दौरान देय होने वाले मामलों की प्रक्रिया पहले से ही पूरी करने के लिए एक वर्ष में जनवरी के प्रथम सप्ताह तथा जुलाई के प्रथम सप्ताह में होंगी। तदनुसार एक वित्तीय वर्ष विशेष की प्रथम आधी अवधि (अप्रैल-सितंबर) के दौरान देय होने वाले वित्तीय उन्नयन संबंधी मामलों को जनवरी के प्रथम सप्ताह में होने वाली जांच समिति की बैठक में विचारार्थ लिया जाएगा। इसी प्रकार, किसी वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में होने वाली जांच समिति की बैठक में उन मामलों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी जो उसी वित्तीय वर्ष की दूसरी आधी अवधि (अक्टूबर-मार्च) के दौरान देय होंगे।

7. तथापि, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना को लागू करने के लिए, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर पहली जांच समिति का गठन करेंगे जिससे कि इस योजना के अंतर्गत लाभ दिए जाने के लिए 30 जून, 2009 तक के देय मामलों पर विचार किया जा सके।

8. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए जाएंगे ।

9. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन की उपर्युक्त योजना के प्रावधानों के अर्थ और कार्यक्षेत्र के विषय में होने वाले संदेह की कोई व्याख्या/स्पष्टीकरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (स्थापना-घ) द्वारा दिया जाएगा । यह योजना 01.09.2008 से लागू होगी । अन्य शब्दों में, अगस्त, 1999 की ए.सी.पी. स्कीम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय उन्नयन 31.08.2008 तक दिया जाएगा ।

10. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वेतन निर्धारण के कारण वरिष्ठ की तुलना में अधिक वेतन ले रहे कनिष्ठ के संबंध में वेतन बैंड या ग्रेड वेतन में वेतन की कोई बढ़ोतरी स्वीकार्य नहीं होगी ।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि पिछला कोई भी मामला फिर से शुरू नहीं किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना लागू करते समय उसी संवर्ग में अगस्त, 1999 की पुरानी ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत तथा संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की अदायगी के कारण वेतनमानों में भिन्नता आ जाने पर उसका अर्थ एक विसंगती के रूप में नहीं लगाया जाएगा ।

एस. जैनेन्द्र कुमार

(एस. जैनेन्द्र कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/उच्चतम न्यायालय/राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/ मंत्रिमण्डल सचिवालय/ संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ।
4. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एस.) 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. राष्ट्रीय परिषद् (जे.सी.एम.) के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
7. स्थापना (घ) अनुभाग- 1000 प्रति्या
8. एन.आई.सी. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक को डी.ओ.पी.टी वेबसाइट की अपलोडिंग के लिए ।

संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.)

1. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत तीन वित्तीय अपग्रेडेशन (उन्नयन) दिए जाएंगे जिनकी गणना, सीधे भर्ती ग्रेड से क्रमशः 10, 20 और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर की जाएगी। इस योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन तब अनुज्ञेय होगा जब किसी व्यक्ति ने समान ग्रेड वेतन के अंतर्गत 10 वर्ष पूरे कर लिए होंगे।
2. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना में केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 की पहली अनुसूची के खंड 1, भाग-क में दिए गए अनुसार संस्तुत संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के पदक्रम में तत्काल अगले उच्चतर ग्रेड वेतन में मात्र स्थापन करने की परिकल्पना की गई है। अतः एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन के समय पर ग्रेड वेतन, कतिपय मामलों में जहां, दो उत्तरवर्ती ग्रेडों के बीच नियमित पदोन्नति नहीं होती, उससे भिन्न हो सकता है, जो नियमित पदोन्नति के समय पर उपलब्ध होता। अतः ऐसे मामलों में, संबंधित संवर्ग/संगठन के पदक्रम में अगले पदोन्नति पद से जुड़ा उच्चतर ग्रेड वेतन केवल नियमित पदोन्नति के समय पर ही दिया जाएगा।
3. एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन वेतन बैंड-4 में उच्चतम ग्रेड वेतन-12000/-रूपए तक अनुज्ञेय होगा।
4. इस योजना के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन के समय पर नियमित पदोन्नति के समय प्रदान किया जाने वाला वेतन निर्धारण का लाभ भी अनुज्ञेय होगा। अतः ऐसे में वेतन, इस प्रकार हुए अपग्रेडेशन से पूर्व, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित किए जा रहे कुल वेतन के 3 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। तथापि, नियमित पदोन्नति, यदि वे एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत यथा प्रदत्त समान ग्रेड वेतन में हुई है तो उस समय वेतन निर्धारण का और लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तथापि, वास्तविक पदोन्नति, यदि किसी ऐसे पद पर हुई है जिसका ग्रेड वेतन उससे उच्चतर है, जो एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत उपलब्ध होता, तो वेतन का निर्धारण नहीं किया जाएगा और केवल ग्रेड वेतन का अंतर प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए कोई सरकारी कर्मचारी वेतन बैंड-1 में 1900/-रूपए के ग्रेड वेतन में सीधे भर्ती उम्मीदवार के रूप में सेवा में प्रवेश करता है और उसे सेवा के 10 वर्ष पूरे करने पर भी कोई पदोन्नति नहीं मिलती तो उसे एम.ए.पी.एस. के अंतर्गत, 2000/-रूपए के अगले उच्चतर ग्रेड में वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किया जाएगा और उसका वेतन एक वेतन वृद्धि देकर जमा ग्रेड वेतन का अंतर (अर्थात् 100/-रूपए) देकर निर्धारित किया जाएगा।

एम.ए.सी.पी.एस. के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त करने के बाद यदि सरकारी कर्मचारी अपने संवर्ग में अगले पदक्रम पर पदोन्नति प्राप्त कर लेता है जो कि 2400/-रूपए का ग्रेड वेतन है, तो नियमित पदोन्नति पर उसे ग्रेड वेतन का अंतर अर्थात् 2000/-रूपए और 2400/- रूपए का अंतर प्रदान किया जाएगा । इस स्तर पर कोई अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी ।

5. विगत में हुई पदोन्नतियां संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदत्त अपग्रेडेशन जो ऐसे ग्रेडों में हुए हों, जो कि अब छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमानों के सम्मिलित (मर्जर)/पदों के अपग्रेडेशन के कारण, समान ग्रेड वेतन रखते हैं, उन्हें संशोधित सुनिश्चित कैरिअर की संशोधित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन प्रदान करने के प्रयोजन से उपेक्षित कर दिया जाएगा ।

किसी विशिष्ट संगठन में संशोधन पूर्व पदक्रम (बढ़ते हुए क्रम में) निम्नानुसार था :

5000-8000/-रूपए, 5500-9000/-रूपए, 6500-10500/-रूपए.

(क) एक सरकारी कर्मचारी जो 5000-8000/-रूपए के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पदक्रम में भर्ती हुआ और उसे दिनांक 1-1-2006 से पूर्व सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लेने पर भी कोई पदोन्नति प्राप्त नहीं हुई, उसके मामले में दिनांक 1-1-2006 की स्थिति के अनुसार उसे अपने संगठन के पदक्रम में अगले ग्रेड में सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के तहत दो वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त हो चुके होते, अर्थात् 5500-9000/-रूपए और 6500-10500/-रूपए ।

(ख) संशोधन पूर्व वेतनमान 5000-8000/-रूपए में समान पदक्रम में भर्ती होने वाले एक अन्य सरकारी कर्मचारी ने भी सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए किन्तु उसे उस अवधि के दौरान अगले उच्चतर ग्रेड अर्थात् 5500-9000/-रूपए और 6500-10500/-रूपए के ग्रेड में दो पदोन्नतियां प्राप्त हो गई ।

उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों मामलों में 1-1-2006 से पहले 5500-9000/-रूपए और 6500-10500/-रूपए के संशोधन पूर्व वेतनमानों में हुई पदोन्नतियां/ए.सी.पी. के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन इस आधार पर उपेक्षित/अनदेखा कर दिए जाएंगे कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 5000-8000/-रूपए, 5500-9000/-रूपए और 6500-10500/-रूपए के संशोधन पूर्व वेतनमान संविलियत (मर्ज) कर दिए गए हैं । केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली के अनुसार दोनों को ही वेतन बैंड-2 में 4200 /-रूपए ग्रेड वेतन दिया जाएगा । एम.ए.सी.पी.एस. के कार्यान्वयन के बाद उपर्युक्त (क) और (ख) दोनों मामलों में वेतन बैंड-2 में अगले

उच्चतर ग्रेड वेतन 4600/-रूपए और 4800/-रूपए के दो वित्तीय अपग्रेडेशन प्रदान किए जाएंगे ।

6. ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत 1-1-2006 तक वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त कर चुके सभी कर्मचारियों के मामले में उनका संशोधित वेतन, उन्हें ए.सी.पी. के तहत प्रदान किए जा चुके वेतनमान के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा ।

6.1 दिनांक 1-1-2006 और 31-08-2008 के बीच प्रदान किए जा चुके ए.सी.पी. अपग्रेडेशन के मामले में सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के अंतर्गत संशोधित वेतन ढांचे के अंतर्गत अपने वेतन को दिनांक 1-1-2006 की स्थिति को उसके संशोधन पूर्व वेतनमान में 1-1-2006 से अथवा (ख) ए.सी.पी. के तहत प्रदान किए गए संशोधन पूर्व वेतनमान के संदर्भ में ए.सी.पी. के तहत प्रदान किए वित्तीय अपग्रेडेशन की तारीख से निर्धारित करवाने का विकल्प उपलब्ध होगा । विकल्प (ख) की स्थिति में वह अपने वेतन की पिछली बकाया धनराशि अपने विकल्प की तारीख अर्थात् ए.सी.पी. के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन की तारीख से आहरित करने का पात्र होगा ।

6.2 ऐसे मामलों में जहां किसी सरकारी कर्मचारी को वित्तीय अपग्रेडेशन, अगस्त, 1999 की ए.सी.पी. योजना के प्रावधानों के अनुसार अपने संवर्ग के पदक्रम में अगले उच्चतर वेतनमान में प्रदान किया गया है, किन्तु छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप संवर्ग के पदक्रम में अगला उच्चतर पद, उच्चतर ग्रेड वेतन स्वीकृत करके अपग्रेड कर दिया गया है, ऐसे कर्मचारी का वेतन, संशोधित वेतन ढांचे में, पद के लिए मंजूर किए गए उच्चतर ग्रेड वेतन के संदर्भ में नियत किया जाएगा । उदाहरण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.पी.) में कनिष्ठ अभियंता के मामले में जिसे अपने पदक्रम में सहायक अभियंता के पद हेतु 6500-10500/-रूपए के संशोधन पूर्व वेतनमान में पहली ए.सी.पी. प्रदान की गई जिसका समरूप संशोधित ग्रेड वेतन, वेतन बैंड-2 में 4200/-रूपए है, अब उसे सी.पी.डब्ल्यू.डी में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित किए जाने के परिणामस्वरूप सहायक अभियंता के पद का अपग्रेडेशन कर दिए जाने से वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन 4600/-रूपए का ग्रेड वेतन प्रदान करके वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन 4600/-रूपए प्रदान किया जाएगा । तथापि, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) के कार्यान्वयन की तारीख से योजना के तहत सभी वित्तीय अपग्रेडेशन, पूर्णतया केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 द्वारा यथा अधिसूचित वेतन बैंडों में ग्रेड वेतन के पदक्रम अनुसार किए जाएंगे ।

7. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत पदोन्नति/वित्तीय अपग्रेडेशन देते समय अपना वेतन नियत करवाने के संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी को मूल नियम 22 (1)(क)(1) के अंतर्गत उसकी पदोन्नति/अपग्रेडेशन की तारीख से अथवा उसकी अगली वेतन वृद्धि की तारीख अर्थात् उस वर्ष की 1 जुलाई से उच्चतर पद/ग्रेड वेतन में वेतन नियत करवाने का विकल्प है। वेतन और वेतन वृद्धि की तारीख को व्यय विभाग के दिनांक 13.9.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/1/2008-आई.सी. की स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार नियत किया जाएगा।

8. भर्ती नियमों के अनुसार पदोन्नति पद सोपान में उसी ग्रेड वेतन में प्राप्त की गई पदोन्नतियों की गणना की संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के आशय से की जाएगी।

8.1 छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप 5400/-रूपए का ग्रेड वेतन अब दो वेतन बैंडों अर्थात् पी.बी.2 और 3 में है। पी.बी. 2 में 5400/-रूपए के ग्रेड वेतन और पी.बी.3 में 5400/-रूपए के ग्रेड वेतन को संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन दिए जाने के आशय से अलग-अलग ग्रेड वेतन माना जाएगा।

9. संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के आशय से 'नियमित सेवा', या सीधे भर्ती आधार पर अथवा संविलियन/पुनर्नियोजन आधार पर नियमित आधार पर सीधे प्रवेश ग्रेड के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी। नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण पर नियमित नियुक्ति से पूर्व तदर्थ/संविदा आधार पर की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी। फिर भी किसी नए विभाग में नियमित नियुक्ति से पूर्व उसी ग्रेड वेतन वाले पद पर दूसरे सरकारी विभाग में बिना किसी अंतराल के की गई पिछली नियमित निरंतर सेवा की गणना केवल संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना के आशय से नियमित अर्हक सेवा के लिए की जाएगी (और नियमित पदोन्नतियों के लिए नहीं)। फिर भी ऐसे मामलों में सुनिश्चित कॅरिअर की संशोधित प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रसुविधाओं पर, नए पद में परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक पूरा होने तक विचार नहीं किया जाएगा।

10. किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व किसी राज्य सरकार/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन में की गई पिछली सेवा की गणना नियमित सेवा के आशय से नहीं की जाएगी।

11. 'नियमित सेवा' नियमित सेवा में प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा पर बिताई गई सारी अवधि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से स्वीकृत अध्ययन छुट्टी और सभी प्रकार की छुट्टी शामिल होगी।

12. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना कार्यभारित (वर्क चार्ज्ड) कर्मचारियों पर भी लागू होगी यदि उनकी सेवा शर्तें नियमित स्थापना के कर्मचारियों के तुलनीय हैं ।

13. किसी मंत्रालय/विभाग अथवा इसके कार्यालयों में कर्मचारियों की किसी विशेष श्रेणी के लिए विद्यमान स्वस्थाने पदोन्नति योजना स्टाफ कार इंडेक्स योजना सहित मौजूदा समयबद्ध पदोन्नति योजना किसी भी प्रकार की पदोन्नति योजना का, कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों के लिए लागू रहना जारी रह सकता है यदि संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक परामर्श करने के पश्चात इन योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया जाता है अथवा वे संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना को अपना सकते हैं । फिर भी ये योजनाएं संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के साथ साथ नहीं चलेंगी ।

14. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना केवल केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों पर सीधे तौर पर लागू हैं । यदि किसी मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय स्वायत्त/सांविधिक निकायों के कर्मचारियों पर स्वतः ही लागू नहीं होगी । शामिल वित्तीय विविक्षाओं के मद्देनजर संबंधित शासकीय निकाय/निदेशक मण्डल और प्रशासनिक मंत्रालय के द्वारा इस बारे में एक सचेत निर्णय लेना होगा और जहां कहीं संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना को अंगीकार करना प्रस्तावित हो वहां वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति ली जाएगी ।

15. यदि संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत कोई वित्तीय अपग्रेडेशन स्थगित कर दिया जाता है और कर्मचारी के अनुपयुक्त होने अथवा विभागीय कार्यवाहियों आदि के कारण 10 वर्ष के पश्चात भी किसी ग्रेड वेतन में यह नहीं दिया जाता है तो इसका उस अगले वित्तीय अपग्रेडेशन पर परिणामी प्रभाव होगा जो पहले वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने में हुई देरी की अवधि के बराबर अवधि तक स्थगित कर दिया जाता है ।

16. उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने पर पदनाम, वर्गीकरण अथवा उच्च स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा । फिर भी, वित्तीय और कतिपय अन्य प्रसुविधाएं जो किसी कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन से जुड़े हैं, जैसे कि गृह निर्माण अग्रिम सरकारी आवास का आवंटन की अनुमति दी जाएगी ।

17. वित्तीय अपग्रेडेशन उपयुक्तता के अध्याधीन पी.बी.। के भीतर ग्रेड वेतन के पद सोपन में गैर कार्यात्मक आधार पर होगा । इसके पश्चात संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन के लिए 'अच्छा' का बैंच मार्क पी.बी.3 में

6600/-रूपए के ग्रेड वेतन तक मार्क लागू होगा । 7600/-रूपए और इससे ऊपर के ग्रेड वेतन में वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए बेंच मार्क 'बहुत अच्छा' होगा ।

18. अनुशासनिक/शास्ति की कार्यवाहियों के मामले में संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रसुविधाओं का दिया जाना साधारण पदोन्नति को शास्ति करने वाले नियमों के अध्यक्षीन होगा । अतः ऐसे मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 और इसके अंतर्गत जारी अनुदेशों के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किए जाएंगे ।

19. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना में केवल अगले उच्चतर ग्रेड वेतन/वित्तीय लाभ की स्वीकृति वैयक्तिक आधार पर अभिकल्पित है और इसके संबंधित कर्मचारियों की वास्तविक/कार्यात्मक पदोन्नति हेतू नहीं है । अतः संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना पर कोई भी आरक्षण आदेश/रोस्टर लागू नहीं होगा जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के सभी पात्र कर्मचारियों को एकसमान रूप प्रसुविधाएं देगा । फिर भी नियमित पदोन्नति के समय पदोन्नति में आरक्षण के नियमों को सुनिश्चित किया जाएगा । इस कारण से इस योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन दिए जाने के क्रम में मामलों पर विचार किए जाने वाली जांच समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य नहीं होगा ।

20. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन कर्मचारी को विशुद्धतः व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा । इसी प्रकार वरिष्ठ कर्मचारियों को इस आधार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय अपग्रेडेशन नहीं दिया जाएगा कि इस ग्रेड में कनिष्ठ कर्मचारी ने संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त कर लिया है ।

21. संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत अनुमत्य वेतन बैंड में आहरित वेतन और ग्रेड वेतन की गणना सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में सेवांत प्रसुविधाओं का निर्धारण करने के लिए की जाएगी ।

22. यदि कोई समूह "क" सरकारी कर्मचारी जो सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के दायरे में नहीं आता था और अब वह 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात तीसरे वित्तीय अपग्रेडेशन का सीधे हकदार हो गया है तो उसका वेतन संशोधित वेतन बैंडों और ग्रेड वेतनों के पद सोपान में निरंतर अगले तीन तत्काल उच्चतर ग्रेड वेतन देकर नियत किया जाएगा और प्रत्येक स्तर पर तीन प्रतिशत का वेतन निर्धारण का लाभ की अनुमति दी जाएगी । दूसरे वित्तीय अपग्रेडेशन के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों का वेतन भी तदनुसार नियत किया जाएगा ।

23. यदि कोई कर्मचारी अपने संगठन में अधिशेष घोषित कर दिया जाता है और किसी नए संगठन में उसी वेतनमान अथवा उससे निम्नतर वेतनमान में नियुक्त किया जाता है तो उसके द्वारा पूर्व संगठन में की गई नियमित सेवा की गणना, संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन दिए जाने के लिए उसके नए संगठन की नियमित सेवा के लिए की जाएगी ।

24. यदि कोई कर्मचारी पदोन्नति/सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन प्राप्त करने के बाद किसी निचले पद अथवा निचले वेतनमान पर एकतरफा स्थानान्तरण की मांग करता है तो वह, नए संगठन में, उस पद पर उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तारीख से, संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत 20/30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने पर, जैसा भी मामला हो, केवल दूसरे और तीसरे वित्तीय उन्नयन के लिए केवल हकदार होगा ।

25. यदि कर्मचारी को नियमित पदोन्नति दी गई है परन्तु उसने वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले मना कर दिया था तो कोई वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐसे कर्मचारी को अवसरों की कमी के कारण गतिहीन नहीं किया गया है तथापि, यदि वित्तीय उन्नयन की अनुमति गतिहीनता के कारण नहीं दी गई है और तत्पश्चात कर्मचारी ने पदोन्नति से मना कर दिया है तो यह वित्तीय उन्नयन को वापस लेने का आधार नहीं होगा । फिर भी, वह अगले वित्तीय उन्नयन पर विचार करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह पुनः पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए सहमत नहीं होता है और अगला दूसरा वित्तीय उन्नयन इंकार के कारण विवर्जन की अवधि समाप्त होने तक भी स्थगित कर दिया जाएगा ।

26. पूर्णतया तदर्थ आधार पर उच्चतर पदों को धारण किए हुए व्यक्तियों के मामले भी अन्य व्यक्तियों के मामलों के साथ छानबीन समिति द्वारा विचार किए जाएंगे । उन्हें, निचले पद पर वापस आने अथवा तदर्थ आधार पर लिए गए वेतन की तुलना में यदि यह लाभकारी है वित्तीय उन्नयन के लाभ की अनुमति दी जा सकती है ।

27. प्रतिनियुक्ति पर चल रहे कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन का लाभ लेने के लिए मूल विभाग को वापस करने की आवश्यकता नहीं है । वे स्वधारित पद के वेतन बैंड में वेतन तथा ग्रेड वेतन के लिए जाने अथवा संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत स्वयं को प्राप्त वेतन जमा ग्रेड वेतन, इनमें से जो भी लाभकारी हो, का नया विकल्प दे सकते हैं ।

28. स्पष्टीकरण

- क (i) यदि वेतन बैंड-1 में ग्रेड वेतन 1900 रूपए में कोई सरकारी कर्मचारी (अवर श्रेणी लिपिक) 8 वर्ष की सेवा पूरी करने पर वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2400 रूपए में अपनी पहली नियमित पदोन्नति (उच्च श्रेणी लिपिक) प्राप्त करता है और फिर वह बिना किसी पदोन्नति के अगले 10 वर्षों के लिए उसी ग्रेड वेतन में बना रहता है तब वह 18 वर्ष (8+10 वर्ष) की सेवा पूरी करने के बाद वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2800/-रूपए में संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होगा ।
- (ii) यदि, उसके बाद वह कोई पदोन्नति नहीं प्राप्त करता है तो वह वेतन बैंड-11, ग्रेड वेतन 4200/-रूपए में अगले 10 वर्षों की सेवा पूरी करने पर अर्थात् 28 वर्ष बाद (8+10+10) तीसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेगा ।
- (iii) तथापि, यदि वह वेतन बैंड-11, ग्रेड वेतन 4200 रूपए (सहायक ग्रेड/ग्रेड 'सी') में अगले 5 वर्ष की सेवा के बाद अर्थात् 23 वर्ष की सेवा पूरी करने पर दूसरी पदोन्नति प्राप्त करता है तो वह 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर अर्थात् वेतनबैंड-11, ग्रेड वेतन 4600/-रूपए में दूसरा सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के 10 वर्ष के बाद तीसरा वित्तीय उन्नयन प्राप्त करेगा ।
- (iv) उपर्युक्त दृश्य लेख में, ऐसे उन्नयन से पहले लिए गए वेतन बैंड में कुल वेतन और ग्रेड वेतन में 3% की वेतनवृद्धि की जाएगी । फिर भी, नियमित पदोन्नति के समय अगला वेतन नियत नहीं होगा यह उसी ग्रेड वेतन अथवा उच्चतर ग्रेड वेतन में है । केवल ग्रेड वेतन का अन्तर पदोन्नति के समय स्वीकार्य होगा ।
- (ख) यदि वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 1900 रूपए के सरकारी कर्मचारी (अवर श्रेणी लिपिक) को वेतनबैंड-1, ग्रेड वेतन 2000 रूपए में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत पहला वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है और 5 वर्ष बाद, वह वेतन बैंड-1 ग्रेड वेतन 2400 रूपए में पहली नियमित पदोन्नति दी जाती तो उसे संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत दूसरा वित्तीय उन्नयन(सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित ग्रेड वेतन के संदर्भ में अगले ग्रेड वेतन में) वेतन बैंड-1, ग्रेड वेतन 2800 रूपए में 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्वीकार किया जाएगा । 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, वह ग्रेड वेतन 4200 रूपए में तीसरा संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोनन्यन प्राप्त करेगा । तथापि, यदि 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पहले ही दो पदोन्नति प्राप्त हो जाती है तो तीसरा वित्तीय उन्नयन केवल, दूसरी पदोन्नति की तारीख अथवा 30 वर्ष की सेवा, इनमें से

जो भी पहले हो, से उस ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्वीकार्य होगा ।


- (ग) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर लेने के बाद या तो, दो नियमित पदोन्नति अथवा अगस्त, 1999 की संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत दो वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए गए हैं तो तीसरा वित्तीय उन्नयन, 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर, बशर्ते कि उसने उच्च पद पद सोपान में तीसरी पदोन्नति न ली हो, संशोधित सुनिश्चित कैरिअर प्रोनन्यन योजना के अंतर्गत स्वीकार्य होगा ।

27/05/21

(एस.जैनेन्द्र कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार

घंसा 28(क)(i) एवं (ii)



घंसा 28(iii)(क)

